

न्यायालय:-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-882 / 2012

संस्थित दिनांक-05.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,

तहसील-बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

सोनसिंह पिता चरनुसिंह तेकाम, उम्र 29 वर्ष,

निवासी-किडगीटोला पाण्डुतला, थाना गढ़ी,

जिला बालाघाट(म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-05 / 01 / 2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा-4(क) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-15.10.2012 को करीब 16:30 बजे स्थान चाय की दुकान के सामने, रोड़ के किनारे, शर्मा ढाबा के सामने ग्राम किडगीटोला पाण्डुतला आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत सट्टा पर्ची के माध्यम से अंको अथवा संकेतो पर रूपयों की हार-जीत का दांव लगाकर जुएं का प्रचार प्रसार में सहयोग किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र गढ़ी के सहायक उपनिरीक्षक जी.एल. चौधरी ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दिनांक-15.10.2012 को करीब 16:30 बजे उसकी दुकान के सामने, रोड़ के किनारे सट्टा-पट्टी लेख करते हुये पकड़ा गया आरोपी के कब्जे से एक सट्टा-पट्टी, एक कार्बन, एक नीली स्याही की डाट पेन और नगदी 1631/- रुपये साक्षियों के समक्ष जप्त किया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-59/2012 अंतर्गत धारा-4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया।

3— आरोपी को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा-4(क) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-15.10.2012 को करीब 16:30 बजे स्थान चाय की दुकान के सामने, रोड़ के किनारे, शर्मा ढाबा के सामने ग्राम किडगीटोला पाण्डुतला आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत सट्टा पर्ची के माध्यम से अंको अथवा संकेतो पर रूपयों की हार-जीत का दांव लगाकर जुएं का प्रचार प्रसार में सहयोग किया ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— अनुसंधानकर्ता जी.एल.चौधरी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-15.10.2012 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ग्राम गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर आरोपी को उसकी चाय की दुकान के पास, रोड़ के किनारे सट्टा-पट्टी, एक कार्बन, एक नीली स्याही की डाट पेन और नगदी 1631/-रूपये साक्षी मिठ्ठन धुर्वे एवं रूपराम के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-20/2012 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के बाद साक्षियों के कथन लिया था और उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया था। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उसने आरोपी के विरुद्ध अपराध किये जाने के पूर्व ही सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर ली थी। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कथित मुखबिर की सूचना के आधार पर रोजनामचा सान्हा में रवानगी दर्ज किये जाने और वापसी रोजनामचा सान्हा दर्ज किये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं किया है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है।

7— मिठ्ठु धुर्वे (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है, उसके गांव का है। उसके सामने पुलिस ने आरोपी से कोई संपत्ति जप्त नहीं की थी और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी से सट्टा-पट्टी लिखते हुये पकड़कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया

था। साक्षी ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किये जाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर जप्ती पंचनामा और गिरफ्तारी पंचनामा पर हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

8— रूपराम झारिया (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने पुलिस ने आरोपी से कोई संपत्ति जप्त नहीं की थी और न ही आरोपी को गिरफ्तार करने के संबंध में कोई कार्यवाही की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके कथन ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी से सट्टा-पट्टी लिखते हुये पकड़कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था। साक्षी ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किये जाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर जप्ती पंचनामा और गिरफ्तारी पंचनामा पर हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में जप्ती अधिकारी की एक मात्र साक्ष्य पर अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने हेतु निर्भर करता है। मामले को सबित किये जाने हेतु किसी निश्चित संख्या में साक्षियों को पेश किया जाना अपेक्षित नहीं होता है, बल्कि एकमात्र साक्षी की विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर भी मामला प्रमाणित हो सकता है। यद्यपि जहां एकमात्र साक्षी की साक्ष्य पर मामला प्रमाणित किये जाने हेतु निर्भरता रहती है वहां उक्त एकमात्र साक्षी की विश्वसनीयता को जांच परख कर उसकी साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना होता है।

10— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एकमात्र साक्षी अनुसंधानकर्ता अधिकारी जी.एल.चौधरी (अ.सा.1) ने मामले में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही के संबंध में कथन किया है। यद्यपि जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का समर्थन जप्ती के स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। जप्ती अधिकारी जी.एल.चौधरी (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में स्वतंत्र साक्षीगण को मौके पर रवानगी के समय साथ लिये जाने अथवा उक्त गवाहों को मौके पर उपलब्ध रहने के संबंध में कोई खुलासा नहीं किया है, जबकि स्वतंत्र साक्षीगण ने एकमत होकर अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उन्होंने पुलिस के कहने पर दस्तावेजी कार्यवाही पर हस्ताक्षर कर दिये थे और उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मामले में जप्ती अधिकारी के द्वारा कार्यवाही किये जाने के पूर्व रवानगी एवं कार्यवाही के पश्चात् वापसी के संबंध में

रोजनामचा सान्हा भी लेख नहीं किया गया, जो कि मामले की प्रकृति के अनुसार लेख किया जाना आवश्यक था। ऐसी दशा में जप्ती अधिकारी की एकमात्र साक्ष्य से मामले की सूबती हेतु ठोस प्रमाण भार की आवश्यकता थी, जिसे अभियोजन प्रमाणित करने में असफल रहा है। मामले की प्रकृति को देखते हुये सम्पूर्ण जप्ती, गिरफ्तारी, कायमी व अनुसंधान कार्यवाही को एकमात्र जप्ती अधिकारी के रूप में निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी की स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य के समर्थन के अभाव में एवं रोजनामचा सान्हा लेख न करने की संदेहास्पद परिस्थितियों को साक्ष्य के दौरान दूर न किये जाने के कारण जप्ती अधिकारी की एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता।

11— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में सट्टा पर्ची के माध्यम से अंको अथवा संकेतो पर रूपयों की हार-जीत का दांव लगाकर जुएं का प्रचार प्रसार में सहयोग किया। अतः आरोपी को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा-4(क) के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

12— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा एक सट्टा-पट्टी, कार्बन एवं एक डाट पेन मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावें एवं जप्तशुदा राशि 1631 /— रूपये राजसात किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट